Maharashtra for increased allocation of foodgrains in view of the drought conditions prevailing in the State, the State Government was allotted additional quantity of foodgrains (rice and wheat) in January, February, March and June, 1992 as indicated below:—

Month	Allocation of foodgrains (rice and wheat) (in tonnes)
January, 92 . .	50,000
February, 92 .	52,000
March, 92 . .	37,000
June, 92 . .	20,000

Grant of ISI marks to manufacturers

4631. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bureau of Indian Standards has been granting ISI marks to various manufacturers for thier production scheduled in quality control order without receiving testing reports;

(b) if so, the number of officials and industries involved in this scandal; and

(c) what action Government are taking against the officials concerned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir.

(b) and (c) Question does not arise.

खाद्य वस्तुओं पर राज सहायता

4632. **श्री वीरेन जे० शाह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बढ़ते दबाव के कारण खाद्य वस्तुओं पर सरकार द्वारा दी जाने वाली राज सहायता की मात्रा में वृद्धि की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हाल में खाद्य वस्तुओं पर राज सहायता में 300 करोड रुपए तक वृद्धि करने के लिए एक मांग की गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त वस्तुओं पर राज सहायता में वृद्धि का उपभोक्ताओं पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) इस अतिरिक्त सुविधा से आम उपभोक्ता को क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वस्तुओं का वितरण करने में वहन की जाने वाली राज सहायता की मात्रा , वसूली-लागतों, उठाई जाने वाली मात्रा के स्तर, खाद्यान्न के उपलब्ध भंडार की मात्रा तथा वसूली के बाद होने वाली संचालन लागतों पर निर्भर करती है । 1992–93 के बजट में खाद्य राजसहायता के लिए 2500 करोड रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चुने क्षेत्रों में वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों तथा उक्त क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने के लिए रखी गई 250 करोड रुपए की अतिरिक्त राजसहायता शामिल नहीं है । चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों का केंद्रीय निर्गम मूल्य वसूली लागतों से कम है, अत: उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए राजसहायता युक्त खाद्यान्न का लाभ मिलता है ।

Frivolous Consumer Complaints

4633. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of complaints lodged by consumers before the State